

पत्रांक-श्रम कंस०-28/2025(अंश)-336
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 02 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) तथा दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 4,00,000/- (चार लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 5,00,000 /- (पाँच लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतकों/दावेदारों कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

04 मृतकों/दावेदारों कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रित का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पति/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबन्ध)/ दावेदार, आधार सं०.	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/ नोबार्डल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ताता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सरिता देवी, 39, अमित कुमार ब्याहुत पिछड़ा वर्ग	अमित कुमार ब्याहुत (पति)	767 30.07. 2025 1093 18.11. 2025	ग्रा०-मठिया दयाराम, पो०-नेचुआ, जलालपुर, थाना+प्र०-कुचाय कोट जिला-गोपालगंज मो०-9930556125	40178 68094	CBI, CBINO 28131 4	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूरी का कार्य
2	स्व० धर्मेन्द्र प्रसाद उर्फ धर्म पटेल, 59, शंकर पटेल, पिछड़ा वर्ग	किसनावती देवी (पत्नी)	स्वीकृत्यादे शमें पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं 1196 11.12. 2025	ग्रा०-मनिकपुर, पो०+थाना-मीरगंज, प्र०-हथुआ, जिला-गोपालगंज मो०-9262764287	31985 83030 5	SBI, SBINO 00921 2	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र)	स्वाभाविक मृत्यु, रिक्सा चालक
3	स्व० भोला कुमार, 26, स्व० भगवान महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	फुलमति कुमारी (पत्नी)	1251 22.12. 2025 206 18.02. 2026	ग्रा०-सिसई, पो०-सफियाबाद, थाना+प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज मो०-9263313883	41379 68790 5	SBI, SBINO 00601 8	रू० 2,00,000 /- (दो लाख रूपये मात्र)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
4	स्व० नितेश कुमार उर्फ नीतिश, 27, वीरेन्द्र यादव, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रिंकु कुमारी (पत्नी)	1259 22.12. 2025 206 18.02. 2026	ग्रा०-सोनवलिया, पो०-राजापट्टी, थाना+प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज मो०-7250003149	17281 01015 926	Canara Bank, CNRB 00017 28	रू० 2,00,000 /- (दो लाख रूपये मात्र)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल रू० 5,00,000/-
(पाँच लाख रूपए मात्र)



2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०स०-28/2025(अंश)-336

पटना, दिनांक :- 13/03/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RIGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **कुल:- ₹ 5,00,000 /-** (पाँच लाख रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, सारण / श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

13/03/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 13-03-2026 15:47:55
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।